

**कार्यालय - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर।**

क्रमांक - 31

दिनांक - 05-07-2024

**-: कार्यालय आदेश :-**

में, श्रीमती नेहा शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर एतद्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्र क्रमांक-Gen-/XIX/Misc./2000/911/718, Dated 01-06-2001 की पालना में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 19(2) व 410(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को उनके नाम के सामने अंकित तिथि को **माह जुलाई, 2024** में आवश्यक दांडिक कार्य रिमाण्ड, जमानत, धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य अपने न्यायालय में (कार्यालय समय 11:00 ए.एम. से 01:30 ए.एम. तक) उस रोज यदि कोई मृत्युकालिक कथन, धारा 52-क के तहत इन्वेन्ट्री हो, तो उस संबंध में कार्यवाही करने के लिए आवश्यक रूप से अधिकृत करती हूँ -

क्र.सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी	न्यायालय	मोबाइल नं.
01.	07-07-2024	श्री शैलेन्द्र राज गोस्वामी	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण) सं. 08, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9145977107
02.	13-07-2024	श्री भरत सेनी	न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 04, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	8963854173
03.	14-07-2024	श्री भरत सेनी	न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 04, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	8963854173
04.	17-07-2024	श्रीमती महिमा श्रीमाली	न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 10, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9680281111
05.	21-07-2024	श्रीमती रेखा चौधरी	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण) सं. 10, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9116924785
06.	27-07-2024	श्री आदित्य	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण) सं. 11, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9636530530
07.	28-07-2024	श्री आदित्य	विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट प्रकरण) सं. 11, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9636530530

**नोट - उक्त कार्य के अलावा अन्य आवश्यक कार्य हेतु निम्न अधिकारी मुख्यालय पर रहेंगे -**


क्र.सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी	न्यायालय	मोबाइल नं.
01.	07-07-2024	श्री मनेन्द्र शर्मा	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 03, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9413765964
02.	13-07-2024	श्री प्रवीण चौधरी	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 02, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9828714545
03.	14-07-2024	श्री प्रवीण चौधरी	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 02, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9828714545
04.	17-07-2024	श्री रमेश कुमार	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 01, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9413534780
05.	21-07-2024	श्री रमेश कुमार	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 01, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9413534780
06.	27-07-2024	श्री प्रकाशचंद्र मीणा	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 05, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9694750325
07.	28-07-2024	श्री प्रकाशचंद्र मीणा	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 05, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9694750325

रिमाण्ड प्राधिकृत किए जाने के दौरान रिमाण्ड में अभिवृद्धि हेतु उपर्युक्तानुसार दायिक कार्य रिमाण्ड आदि के लिए प्राधिकृत किए गए रिमाण्ड मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि को प्राधिकृत करने की स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा वारंट में स्पष्ट रूप से उस न्यायालय का नाम अंकित करें, जिस न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि हेतु मुलजिम को पेश किया जाना है। जमानत प्रार्थना-पत्र का निस्तारण करते समय जमानत आदेश में यह आवश्यक रूप से अलग से पैराग्राफ बनाकर लिखा जावे कि वह किस न्यायालय से संबंधित है तथा किस पुलिस थाने से संबंधित है।

नोट - (ए) उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरंभ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।

(बी) अभियुक्तगण को निर्धारित समय पर ही अवकाश न्यायालय के समक्ष पेश किया जावे। निर्धारित समय में अवकाश न्यायालय के समक्ष न्यायालय में पेश न करने एवं निवास पर पेश करने पर थानाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही जावेगी। विशेष परिस्थितियों में मुलजिम को निवास पर पेश करते समय निवास में प्रवेश न करवाकर बाहर रखा जावे व संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी। संबंधित न्यायालय का स्टाफ अवकाश के दिन उपस्थित रहेगा।

(सी) उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है तो उनके स्थान पर आने वाले अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जाएगी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संबंधित पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।


  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जोधपुर महानगर, जोधपुर।

दिनांक - 05-07-2024

क्रमांक - 11

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

01. श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
02. स्थापना शाखा, जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
03. पुलिस उपायुक्त, पूर्व, जोधपुर महानगर।
04. पुलिस उपायुक्त, पश्चिम, जोधपुर महानगर।
05. अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसियेशन, जोधपुर।
06. अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसियेशन, जोधपुर।
07. उपनिदेशक, अभियोजन विभाग, जोधपुर महानगर।
08. ड्यूटी ऑफिसर, पुलिस कण्ट्रोल रूम, जोधपुर शहर।
09. ऑफिसर इंचार्ज, अभय कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेंटर, सूचना केन्द्र के पास, जोधपुर को पुलिस वेबसाइट पर अपलोड करने व समस्त थानाधिकारियों को सूचित करने हेतु।
10. नोटिस बोर्ड, (ज्यूडिशियल सर्विस सेंटर, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर)।
11. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
13. न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 04, 10 तथा एन.आई. एक्ट सं. 08, 10, 11 जोधपुर महानगर, जोधपुर।
14. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 01, 02, 03, 05, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
15. कार्यालय प्रति।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
जोधपुर महानगर, जोधपुर।